



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार- 249404

01334-244143  
01334-244282  
01334-244282 (F)

पत्रांक:-269/09/संविदा नियुक्ति/अधि./2016-17

दिनांक:- 06 अक्टूबर, 2016

## विज्ञापित

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में निम्नलिखित पदों को संविदा के आधार पर 13 अगस्त, 2017 अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की अवधि तक भरे जाने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक अर्हता एवं सेवा सम्बन्धी अनुभव-विवरण की छायाप्रति सहित दिनांक:-24.10.2016 तक आमन्त्रित किये जाते हैं। उक्त पदों हेतु साक्षात्कार दिनांक:-07.11.2016 को प्रातः 11:00 बजे आयोग कार्यालय में आयोजित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु अलग से कोई बुलावा पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा।

क्र. सं.	पदनाम	मासिक मानदेय ( ₹ )	पदों की संख्या	अनिवार्य योग्यता
1.	समीक्षा अधिकारी (संविदा)	प्रचलित व्यवस्था के अनुसार	02	(1) राज्यीय सेवा/केन्द्रीय सेवा/सार्वजनिक उपक्रम/शैक्षणिक संस्थान में प्रधानाचार्य/ अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक/ समीक्षा अधिकारी/प्रधान सहायक/मुख्य सहायक/लेखाकार के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव प्राप्त स्नातक शैक्षिक अर्हता धारित सेवानिवृत्त कार्मिक । (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।
2.	सहायक समीक्षा अधिकारी (संविदा)	तदैव	06	(1) राज्यीय सेवा/केन्द्रीय सेवा/सार्वजनिक उपक्रम/शैक्षणिक संस्थान में प्रधानाचार्य/ अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक/ समीक्षा अधिकारी/प्रधान सहायक/मुख्य सहायक/लेखाकार के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव प्राप्त सेवानिवृत्त कार्मिक । 2. कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।

नोट:- (1) साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने साथ वांछित शैक्षिक योग्यता, अनुभव सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, पेंशन भुगतान आदेश एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति तथा सत्यापित छाया प्रति एवं दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ अवश्य साथ लायें।

- (2) साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने साथ अपने मूल विभाग द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य लायें, जिसमें उल्लिखित हो कि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के उपरान्त कोई लघु/दीर्घ शास्ति पारित नहीं की गई।
- (3) उपरोक्त पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 65 वर्ष से अधिक न हो।
- (4) साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा।
- (5) पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- (6) प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करें।

संलग्न: आवेदन का प्रारूप।

( एस.एन. पाण्डे )

सचिव

प्रतिलिपि:-अनुभाग अधिकारी, आई.टी.सेल को उक्त पद से सम्बन्धित विज्ञप्ति को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

सचिव

06.10.2016

